छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांकःएफ 9–37/2014/तक.शि/42 नया रायपुर दिनांक 18.9.14

प्रति,

आयुक्त–सह–संचालक
तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।

विषयः– राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारण।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में पर्वू प्रचलित नीति में निम्नानुसार संशोधन बाबत् सहमति प्रदान करता हैः–

क्र.	पूर्व प्रचलित नीति	संशोधन
1.	एक पॉलीटेक्निक से दूसरे पॉलीटेक्निक में स्थानांतरण द्वितीय वर्ष में एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय से दूसरे इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थानांतरण द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में किया जाना उल्लेखित था।	एक पॉलीटेक्निक से दूसरे पॉलीटेक्निक में स्थानांतरण तृतीय सेमेस्टर में एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय से दूसरे इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थानांतरण तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में किया जाएगा।
2.	अनुर्तीर्ण छात्रों का स्थानांतरण और ब्रांच परिवर्तन किया जाना उल्लेखित था।	1. एक पॉलीटेक्निक में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण एवं ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 2. इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है और पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
3.	स्थानांतरण के लिए संचालनालय द्वारा स्थनांतरण प्रमाण पत्र T-3 जारी किया जाता था।	स्थानांतरण के लिए संचालनालय के स्थान पर विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र T-3 जारी किया जाएगा।
4.	पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच	1. पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन/स्थानांतरण निम्न ब्रांचों में होगा (अ) बो.ई. (बायोटेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम के लिए को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमो में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा। (ब) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Civil/ Mechanical/Electrical/Metallurgical/Instrumentation/Mining/Chemical Engineering में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।

		(स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिऐ Computer Science & Engineering और Information Technology में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा। (2) पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन/स्थानांतरण निम्न ब्रांचों में होगा। (अ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Electronics & Telecommunication Engineering में/से ब्रांच परिवर्तन नहीं होगा। (ब) नॉन पीपीटी डिप्लोगा,फार्मेसी पाठ्यक्मों में ब्रांच परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
5.	किसी पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय अथवा किसी पाठ्यक्रम के बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का अन्यत्र संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था।	किसी पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय अथवा किसी पाठ्यक्रम के बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रां का अन्यत्र संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जाएगा।
6.	ट्यूशन फीस वेव्हर एवं Lateral Entry के अंतर्गत प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों को स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन के लिए शामिल न किये जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं था।	ट्यूशन फीस वेव्हर एवं Lateral Entry के अंतर्गत प्रवेश स्वीकृत क्षमता के Over and Above किये जाते हैं । अतः इनकी रिक्त रह गई सीटों को स्थानांतरण /ब्रांच परिवर्तन के लिए शामिल नहीं किया जायगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
S/d
याकुब खेस्स
उप सचिव
दूरभाष– 0771–2510015